भारतीय रिज़र्व बैंक
भोपाल

वित्तीय साक्षरता अभियान

होशंगाबाद रोड,
भोपाल - 462 011 मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner

प्रश्न क्या व्यक्तिगत खाताधारकों को बचत बैंक खातों के लिए पास बुक जारी करना अनिवार्य है?

उत्तर बैंक को चाहिए कि वे सभी व्यक्तिगत बचत बैंक खाता धारकों को अनिवार्यत: पास बुक जारी करें। यदि बैंक स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट्स सुविधा प्रदान करता है और ग्राहक यह विवरण पाना पसंद करता है तो ऐसी स्थिति में बैंक को अनिवार्यत: मासिक खाता विवरण जारी करना चाहिए। ऐसा पास बुक या खाता वितरण जारी करने का व्यय ग्राहक से नहीं वसूलना चाहिए।

प्रश्न चेक पेटी में डालने की सुविधा (चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा) के बारे में तथा चेक प्राप्ति की सूचना के बारे में रिज़र्व बैंक के क्या अनुदेश हैं?

उत्तर बैंक से यह अपेक्षित है कि वे अपने ग्राहकों को चेक पेटी में डालने की सुविधा तथा नियमित चेक संग्रहण काउंटरों पर चेक की प्राप्ति सूचना, दोनों ही सुविधाएँ प्रदान करें। साथ ही, यदि ग्राहक काउंटर पर अपने चेक जमा करता है तो किसी भी बैंक को उस चेक के लिए प्राप्ति सूचना जारी करने से मना नहीं करना चाहिए। साथ ही बैंक से यह भी अपेक्षित है कि वे अपने ग्राहकों को दोनों ही सुविधाएँ अर्थात् पेटी में चेक डालने की सुविधा अथवा काउंटर पर चेक सौंपने की सुविधा उपलब्ध होने के बारे में जानकारी प्रदान करें ताकि वह इस बारे में सोच समझ कर निर्णय कर सके।

प्रश्न एकल जमा खातों में नामांकन सुविधा के संबंध में रिज़र्व बैंक की क्या नीति है?

उत्तर बैंक को यह सूचित किया गया है कि जो व्यक्ति खाता खोलने जा रहा है उसे सामान्यत: नामांकन करने के लिए आग्रह करें। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन नहीं भरता है, तो उसे नामांकन सुविधा के लाभों की जानकारी देनी चाहिए। उसके बावजूद वह नामांकन नहीं करता है तो बैंक उसे इस आशय का एक पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह दे कि वह नामांकन नहीं करना चाहता है। यदि वह ऐसा पत्र भी प्रस्तुत नहीं करना चाहता तो बैंक को खाता खोलने के फार्म पर उसका उल्लेख करना चाहिए और यदि अन्यथा पात्र पाया गया तो खाता खोलने की कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में बैंक को केवल इस कारण से खाता खोलने के लिए मना नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति ने नामांकन करने से मना कर दिया है।

प्रश्न यदि चेक संग्रहित करने में विलंब हो जाए तो इस बारे में क्या अनुदेश है?

उत्तर बैंक से यह अपेक्षित है कि चेक की खरीद के लिए अनुरोध, चेक जमा करने के लिए समय सीमा, चेक के संग्रहण में विलंब होने पर ब्याज की अदायगी, स्थानीय और बाहरी चेकों को तत्काल जमा करना और चेक संग्रहण की नीति को भी प्रदर्शित करें।

Scanned by CamScanner

प्रश्न गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) किसे कहते हैं?

उत्तर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है एवं जो ऋण और अग्रिम देने, शेयरों/ स्टाक/ बांडों/ डिबेंचरों/ सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रतिभूतियों या उसी प्रकार की बिक्री योग्य अन्य प्रतिभूतियों के अधिग्रहण, पट्टे पर देने, किराया खरीद, बीमा कारोबार, चिट कारोबार में लगी हो किन्तु उनमें ऐसी कोई संस्था शामिल नहीं है जिसका मूल कारोबार कृषि कार्य, औद्योगिक गतिविधि, अचल संपत्ति की खरीद/बिक्री/निर्माण है। ऐसी गैर बैंकिंग संस्था जो एक कंपनी है और जिसका मूल/प्रधान कारोबार किसी योजना या प्रबंध या किसी अन्य प्रकार से जमाराशियाँ प्राप्त करना है या किसी प्रकार से उधार देने का कार्य करती है वह भी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी) है।

प्रश्न गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बैंक के समान कार्य कर रही हैं। बैंक और वित्तीय कंपनियों में क्या अन्तर है?

उत्तर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बैंक के जैसे ही कार्य करती हैं, तथापि इनमें निम्नलिखित अंतर है :

(अ) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मांग पर देय जमा राशियां स्वीकार नहीं कर सकती हैं।

(ब) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नही हैं, इसलिए वे अपने ग्राहकों को चेक जारी नही कर सकती हैं और

(स) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं को, बैंक के जमाकर्ताओं की भांति निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से निक्षेप बीमा की सुविधा प्राप्त नहीं है।

प्रश्न क्या यह आवश्यक है कि प्रत्येक गैर बैंकिग वित्तीय कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हो?

उत्तर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ क के अंतर्गत प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-झ के खंड (क) में यथा परिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कोई भी कारोबार आरंभ करने अथवा जारी रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

प्रश्न क्या सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जमा राशियां स्वीकार कर सकती हैं और जनता की जमा राशियां स्वीकार करने हेतु क्या-क्या अपेक्षाएं हैं?

उत्तर सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जनता से जमा राशियां स्वीकार करने के लिए पात्र नही हैं। केवल वे गैर बैंकिंग कंपनियां, जिनके पास जनता से जमा राशियां

Scanned by CamScanner

स्वीकार करने के अधिकार वाला वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है, वे ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जनता से जमा राशियां स्वीकार कर/रख सकती हैं। जनता से जमा राशियां स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियाँ होनी चाहिए और उनके द्वारा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का पालन किया जाना चाहिए।

प्रश्न गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में निवेश करते समय जमाकर्ता को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन के संबंध में क्या-क्या मुख्य विशेषताएं नोट कर लेनी चाहिए?

उत्तर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विनियम इस प्रकार है :

(1) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को न्यूनतम 12 महीने की अवधि और अधिकतम 60 महीने की अवधि के लिए जनता से जमाराशियां स्वीकार करने/नवीकृत करने की अनुमति है। ये मांग पर देय जमा राशियां स्वीकार नहीं कर सकती है।

(2) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई उच्चतम दर से अधिक ब्याज नहीं दे सकतीं। वर्तमान में उच्चतम सीमा 12.5% वार्षिक है। ब्याज का भुगतान और गणना कम से कम एक माह के आवधिक अंतराल पर ही की जा सकती है।

(3) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जमाकर्ताओं को उपहार/प्रोत्साहन राशि या अन्य कोई सुविधा नहीं दे सकती है।

(4) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (कुछ उपकरण लीजिंग/किराया खरीद वित्तीय कंपनियों को छोड़कर) को न्यूनतम निवेश श्रेणी का साख निर्धारण प्राप्त हो।

(5) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जमा की गई राशियों का बीमा नहीं होता है।

(6) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमा राशियों की चुकौती भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गारंटीकृत नहीं है।

(7) जमा राशियां आमंत्रित करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जारी आवेदन पत्र में उस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संबंधित कुछ अनिवार्य खुलासे अंकित होते हैं (बातों को प्रकट किया गया होता है)।

प्रश्न गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास धन जमा करते समय जमाकर्ता को किन अन्य बातों का ध्यान रखना चाहिए?

उत्तर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जमाराशियां रखने के समय निम्नलिखित पहलू भी ध्यान में रखे जाने चाहिए :

(1) जनता की सभी जमा राशियां अरक्षित है।

Scanned by CamScanner

(2) उचित जमा रसीद के लिए आग्रह करें, जिसमें जमाकर्ता/ओं के नाम के अलावा, राशि जमा कराये जाने की तारीख, शब्दों और अंकों में राशि, देय ब्याज दर और परिपक्वता तिथि का उल्लेख हो। जमा-रसीद पर कंपनी द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी को विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(3) कंपनी की वित्तीय सुदृढता की मौजूदा स्थिति या कंपनी द्वारा दिए गए किसी विवरण या किए गए प्रेक्षणों (रिप्रेजेंटेशन्स) या व्यक्त राय के सही होने और कंपनी द्वारा जमाराशियों की अदायगी/दायित्वों के मोचन (डिस्चार्ज) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक कोई दायित्व या गारंटी नही स्वीकार करता है।

प्रश्न यदि कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमा राशियों की चुकौती करने में चूक करती है तो जमाकर्ता क्या कार्रवाई कर सकते हैं?

उत्तर यदि कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमा राशियों की चुकौती में चूक करती है तो जमाकर्ता कंपनी ला बोर्ड या उपभोक्ता मंच में जा सकता है या जमाराशि की वसूली के लिए दीवानी मुकदमा दायर कर सकता है।

प्रश्न क्या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई के लिए कोई लोकपाल है?

उत्तर नही, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई के लिए कोई लोकपाल नहीं है।

प्रश्न प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक क्या है?

उत्तर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जिसे शहरी सहकारी बैंक (अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक) के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से यह एक सहकारी समिति है जो प्राथमिक कृषि साख समिति से अलग है। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) बैंकिंग कारोबार करना।

(ख) जिसकी प्रदत्त अंशपूंजी (पैडअप शेअर केपिटल) एवं रक्षित निधियाँ एक लाख रुपये से कम नहीं है।

(ग) जिसकी उपविधियाँ अन्य सहकारी समितियों को अपना सदस्य बनाने की अनुमति नहीं देती है।

प्रश्न शहरी सहकारी बैंक एवं वाणिज्यिक बैंक में क्या अंतर है?

उत्तर शहरी सहकारी बैंक अनिवार्य रूप से या तो किसी भी राज्य के सहकारी समितियाँ अधिनियम के अंतर्गत अथवा बहु-राज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। ये बैंक प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर कार्य करते हैं जहाँ एक सदस्य का एक ही वोट होता है चाहे उसके शेयरधारिता

Scanned by CamScanner

कितनी भी हो। ये बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक एवं राज्य/केंद्र सरकार के दोहरे नियंत्रण में कार्य करते है। शहरी सहकारी बैंक सामान्यत: स्थानीय इकाई के रूप मे कार्य करते है और उनका कार्यक्षेत्र सीमित होता है।

दूसरी ओर वाणिज्यिक बैंक कंपनीज़ अधिनियम के अंतर्गत एक संयुक्त (जॉइंट) स्टॉक कम्पनीज़ के रूप में पंजीकृत होते है। ये बैंक निगमित निकाय (कॉरपोरेट) के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते है जहाँ वोटिंग का अधिकार व्यक्ति विशेष की शेयर-धारिता के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक इन बैंक का एकमात्र नियामक एवं पर्यवेक्षक होता है। वाणिज्यिक बैंक को कार्य-संपादन में शहरी सहकारी बैंक के बनिस्बत ज्यादा स्वायत्ता (ऑटोनॉमी) होती है।

प्रश्न एक वृद्ध/बीमार/अशक्त ग्राहक किस प्रकार उसके खाते का संचालन कर सकता है?

उत्तर एक खाता धारक जो इतना बीमार है कि चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है और न ही बैंक में अपने खाते से पैसा निकालने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है, परन्तु चेक/आहरण पर्ची पर हाथ अथवा पैर का अंगूठा निशान लगा सकता है, ऐसे मामलों में अंगूठा निशान की शिनाख्त ऐसे दो गवाहों के द्वारा की जानी चाहिए जिनको बैंक जानता है। इन दो गवाहों में एक व्यक्ति बैंक का उत्तरदायी अधिकारी होगा।

प्रश्न क्या स्थानीय/बाहरी चेक की राशि तुरंत खाते में क्रेडिट होने की सुविधा शहरी सहकारी बैंक के ग्राहकों को प्राप्त है?

उत्तर यदि बैंक, खाते के संचालन से संतुष्ट है तो गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक रु. 5000/- एवं अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक रुपये 7500/- तक के सभी स्थानीय/बाहरी चेक की तुरन्त क्रेडिट दे सकते है।

प्रश्न बैंक के फेल हो जाने पर जमाकर्ता की जमाराशियों का क्या होगा?

उत्तर बैंक के परिसमापन/विलयीकरण (मर्जर) लाईसेंस निरस्तीकरण की तिथि पर, डिपॉज़िट इन्शुरेंस एवं क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से बीमाकृत प्रत्येक बैंक के जमाकर्ताओं की अधिकतम एक लाख रुपए तक की जमाराशियाँ (मूलधन एवं ब्याज मिलाकर) जो कि एक ही अधिकार/हैसियत में रखी गई है, बीमाकृत रहेंगी।

प्रश्न जमाकर्ता को यह कैसे ज्ञात होगा कि बैंक बीमाकृत है अथवा नहीं?

उत्तर डीआईसीजीसी किसी बैंक को बीमित करते समय शाखाओं में प्रदर्शित करने हेतु छपे हुए पैम्फलेट प्रदान करता है जिसमें बीमाकृत बैंक के जमाकर्ताओं को कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा का विवरण निहित होता है।

Scanned by CamScanner

प्रश्न किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? और यह किन-किन संस्थाओं से मिलता है?

उत्तर किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को कृषि ऋण एवं उससे संबंधित कार्यों के लिये ऋण दिये जाने का कार्ड है जिसे सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से फसली ऋण, जिसे अल्प अवधि ऋण भी कहते है, मियादी ऋण एवं कृषि से संबंधित कार्यों के लिये कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न कृषि से संबंधित कार्य क्या-क्या होते हैं?

उत्तर कृषि कार्यों से संबंधित ऋण जैसे मुर्गी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, दुग्ध व्यवसाय एवं बागवानी आदि है।

प्रश्न किसान क्रेडिट कार्ड लेने से किसानों को क्या फायदा है?

उत्तर किसान क्रेडिट कार्ड एक चक्रिय निधि है तथा इसके पास होने से किसान उधार दाताओं पर निर्भर नही रहता है तथा वर्ष में अपनी निर्धारित सीमा में बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न जनरल क्रेडिट कार्ड क्या होता है?

उत्तर ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर यह कार्ड व्यवसायिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अधिकतम रुपये 25000/- तक जारी किया जाता है जिसका उपयोग कार्ड धारक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकता है। इसके लिये ऋणी को किसी प्रकार की सिक्युरिटी देने की आवश्यकता नही है।

प्रश्न किसान क्रेडिट कार्ड एवं जनरल क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है?

उत्तर किसान क्रेडिट कार्ड केवल किसानों को कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों के लिये दिया जाता है जबकि जनरल क्रेडिट कार्ड किसी भी ग्रामीण/अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के लोगों को दिया जाता है जिसे वे अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं।

प्रश्न किस प्रकार के नोटों को गंदे और कटे-फटे नोट कहा जाता है?

उत्तर गंदे नोटों में वे नोट आते है जो कि बहुत अधिक इस्तेमाल किये जाये जाने के कारण गंदे और सिकुड़ गये है। कटे-फटे नोटों में वे नोट आते है जो फटे हों, विरूपित बने हों, जल गये हों, धुल गये हों या फिर दीमक लगे हों। दोहरे नंबर वाला बैंक नोट जिसके दो टुकड़े हो चुके है किन्तु दोनों टुकड़ों पर नंबर सही बच गया है, ऐसे नोट को वर्तमान में गंदा नोट माना जाता है।

Scanned by CamScanner

प्रश्न क्या इस प्रकार के नोट बदले जा सकते हैं?

उत्तर हाँ। सभी बैंक शाखाओं को गंदे नोटों को बदलने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

प्रश्न क्या कोई भी आम आदमी बैंक में खाता खोल सकता है?

उत्तर रिज़र्व बैंक ने बिना किसी न्यूनतम रकम से बचत खाता खोलने के निर्देश सभी बैंकों को दिए हुए है। जो खाता अति गरीब वर्ग के लिए है, ऐसे बचत खाते को 'नो फ्रिल खाता' कहा जाता है। 'नो फ्रिल खाता' एक प्रकार का बचत खाता है जो शून्य या न्यूनतम राशि से खोला जा सकता है। इस खाते में सीमित संख्या में जमा एवं पैसा निकालने की सुविधा होती है। यह खाता सरल ग्राहक पहचान प्रक्रिया से खोला जाता है। यह उसकी सबसे बड़ी सुविधा होती है। बैंक में खाता खोलने के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने के लिए बैंक अब प्रौद्योगिकी का विवेक सम्मत इस्तेमाल कर रहे हैं।

प्रश्न 'वित्तीय समावेशन' के लाभ क्या हो सकते हैं?

उत्तर ग्रामीण क्षेत्र की जो बचत अभी बैंकों के पास नहीं आ रही है, उसे बैंक जमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। गरीब लोग बचत की आदत डालकर उसका लाभ उठा सकते हैं। बैंक में उनका धन सुरक्षित रहता है और उस पर ब्याज मिलने से उसमें वृद्धि भी होती है। बैंक से जुड़कर आम आदमी को बैंक से मिलने वाली सुविधाएं जैसे, खेती के लिए कर्ज, मकान के लिए कर्ज, उच्च शिक्षा के लिए कर्ज आदि भी प्राप्त हो सकता है। छोटे-छोटे कारीगर अपने व्यवसाय के लिए भी बैंक से ऋण की सुविधा ले सकते हैं। इतना ही नहीं बैंक के माध्यम से आसानी से और कम समय में पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। बैंक के माध्यम से अब बीमा की भी सुविधा प्राप्त की जा सकती है। बैंक के माध्यम से कई लाभकारी निवेश जैसे कि म्युच्युअल फंड तथा पेंशन स्कीम इत्यादि का लाभ भी उठाया जा सकता है।

जनहित में जारीकर्ता

भारतीय रिज़र्व बैंक

www.rbi.org.in

Scanned by CamScanner